

## कार्यालय-केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, ललितपुर ।

### सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, परिसर ललितपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये ठेकों की नीलामी दिनांक 28.03.2024 को अपरान्ह 04:30 बजे से सभागार कक्ष, जनपद न्यायालय, ललितपुर में नीलामी समिति की देख-रेख में सम्पन्न की जायेगी ।

### विवरण नीलामी:-

01- कैटीन (चाय, नमकीन, मीठा, चाट, फल जूस व शीतल पेय पदार्थ),

02- साइकिल स्टैण्ड जनपद न्यायालय परिसर, ललितपुर ।

03- बाह्य न्यायालय महारौनी भवन की कैटीन (चाय, नमकीन, मीठा, चाट, फल जूस व शीतल पेय)

### नीलामी की शर्तें:-

01- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को वित्तीय वर्ष 2023-24 के ठेके की धनराशि का 20% सुरक्षा धनराशि के रूप में निम्न प्रकार जमा करना होगी:-

क्रमांक	ठेके का विवरण	2023-24 की धनराशि	प्रारंभिक बोली की धनराशि
01.	कैटीन, न्यायालय परिसर, जनपद न्यायालय, ललितपुर ।	रु० 1,32,000/-	1,45,200/-
02.	साइकिल स्टैण्ड, न्यायालय परिसर, जनपद न्यायालय, ललितपुर ।	रु० 82,000/-	90,200/-
03.	कैटीन, बाह्य न्यायालय, महारौनी जिला ललितपुर ।	रु० 8,000/-	8,800/-

01- नीलामी कार्यवाही में भाग लेने वाले ठेकेदार को नीचे अंकित चार्ट अनुसार धरोहर राशि जमा करनी होगी । यदि बोली बोलने वाला व्यक्ति अपनी बोली पर स्थिर नहीं रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी । जिस व्यक्ति के नाम ठेका नहीं होगा, उसकी जमा धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने पर वापस कर दी जायेगी ।

02- उन बोली दाताओं को नीलामी में भाग लेने नहीं दिया जायेगा, जिन पर ठेको की बावत पिछले वित्तीय वर्षों का कोई बकाया शेष हो ।

03- बोली स्वीकृत होने पर साइकिल स्टैण्ड हेतु नीलामी की पूर्ण धनराशि तथा कैटीन के ठेके की 50% राशि नीलामी समाप्त होने पर तुरन्त तथा शेष राशि दो समान किश्तों में जून व सितम्बर 2024 में आवश्यक रूप से जमा करानी होगी । उपरोक्तानुसार धनराशि न जमा कराने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर पुनः नीलामी की जा सकेगी ।

04- प्रत्येक बोली दाता निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहेगा ।

05- नीलामी को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अन्तिम निर्णय माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, ललितपुर को होगा ।

06- नीलामी की प्रक्रिया को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात ही सम्पूर्ण माना जायेगा ।

07- नीलामी के अनुमोदन के पश्चात ठेका लेने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित ठेके के बावत अनुबन्ध अंकन 100 रु० के स्टाम्प पर नियमानुसार निष्पादित करा कर दाखिल करना होगा । स्टाम्प नीलाम क्रेता को स्वयं क्रय कर प्रस्तुत करना होगा ।

08- प्रत्येक ठेकेदार को न्यायालय भवन के सामने गेट के पास सड़क के किनारे खाली भूमि में विनिर्दिष्ट स्थान प्रदान किया जायेगा । जिसमें ठेकेदार द्वारा अपना अस्थाई प्रबन्ध कर निर्धारित कार्य करेंगे ।

09- जो बोली दाता अधिकतम बोली बोलने के पश्चात व बोली स्वीकार करने के पश्चात नीलामी की शर्तों का अनुपालन नहीं करेंगे तो उसकी धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा ।

10- यह आवश्यक नहीं है कि अधिकतम बोली लगाने वाला प्रत्येक दशा में स्वीकार किया जाये ।

11- प्रत्येक बोली दाता को बोली बोलते समय अपना पहचान पत्र/आधार कार्ड, एक फोटो तथा मोबाइल नम्बर जमा करना अनिवार्य होगा ।

12- ठेका कैटीन तथा साइकिल स्टैण्ड हेतु न्यायालय परिसर, ललितपुर व बाह्य न्यायालय महारौनी भवन में कैटीन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये दिया जायेगा ।

13- नीलामी की प्रक्रिया से उत्पन्न किसी भी वाद का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, ललितपुर को होगा

(02)

14- कैटीन हेतु विद्युत संयोजन स्वयं के व्यय पर लेना होगा । विद्युत संयोजन लेने व नीलामी स्वीकार होने के पश्चात उस व्यक्ति द्वारा विद्युत की रसीद/कनेक्शन संख्या कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व दाखिल करनी होगी । प्रतिष्ठान पर बिना वैध कनेक्शन के विद्युत संयोजन पाये जाने पर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी ।

15- प्रत्येक बोलीदाता/ठेकेदार को इस आशय का शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं ।

16- जिस बोलीदाता/ठेकेदार के पक्ष में नीलामी अनुमोदित की जायेगी उसे अन्दर तीन दिवस में नियत निर्धारित स्थान पर कार्य प्रारम्भ करना होगा:-

धरोहर राशि का विवरण निम्न तालिका में अंकित है :-

क्रमांक	ठेके का विवरण	धरोहर राशि का विवरण	कैंटीन संचालित करने का स्थान
01.	कैंटीन, न्यायालय परिसर, जनपद न्यायालय, ललितपुर ।	रु० 26,500/-	मुख्य गेट के पास खाली भूमि 40 फीट लम्बी व 09 फीट चौड़ी
02.	साइकिल स्टैंड, न्यायालय परिसर, जनपद न्यायालय, ललितपुर ।	रु० 16,500/-	मुख्य गेट के सामने कैंटीन व फोटोकापी ठेके के अलावा खाली भूमि
03.	कैंटीन, बाह्य न्यायालय, महारौनी जिला ललितपुर ।	रु० 2,000/-	बाह्य न्यायालय, महारौनी कैंटीन भवन में

17- कोई भी ठेकेदार तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी तथा तंबाकू से निर्मित सामग्री नहीं बेचेगा। इस संबंध में उन्हें लिखित अंडरटेकिंग देना होगी।

Sd/-

(गुलाब सिंह-II),

अध्यक्ष, नीलामी समिति,

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर ।

**प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।**

01- नाजिर सदर, कार्यालय जिला अधिकारी, ललितपुर ।

02- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिसर, ललितपुर ।

03- सहायक नाजिर, जनपद न्यायालय, ललितपुर ।

04- जिला सूचना अधिकारी, ललितपुर को दैनिक समाचार पत्र में शासनादेश सं० 562/19-02-2007-1007/74(T.C) (सूचना अनुभाग 02 लखनऊ ) दिनांकित 04.07.2007 के अनुपालन में प्रकाशन किये जाने हेतु प्रेषित ।

05- सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, ललितपुर को जनपद न्यायालय ललितपुर व माननीय उच्च न्यायालय की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

06- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, महारौनी ।

07- उप नाजिर, बाह्य न्यायालय, महारौनी ।

आज्ञानुसार नीलामी समिति,

Sd/-

केन्द्रीय नाजिर,

जनपद न्यायालय, ललितपुर ।